12

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2013 – रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भीलवाडा –प्रार्थी

बनाम श्री निर्भयसिंह पुत्र मनमतसिंह राजपूत निवासी पांसल, तहसील भीलवाडा –विपक्षी

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री रामेश्वर लाल जाट, अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.07.2019

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./7052/2007/भीलवाडा सरकार बनाम निर्भय सिंह निर्णय दिनांक 13.02.2013 इस प्रकार है– प्रार्थी तहसीलदार, भीलवाडा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत कराते हुये अनुरोध किया कि ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा की आराजी सं. 1320/1 रकबा 5.03 बीघा जमाबंदी संवत् 1995 के मुताबिक पाल दर्ज हैं। इस आराजी नं. 1320/1 रकबा 5.03 बीघा के नये खसरा नं. 1355/3 रकबा 1.17 बीघा बने। भू आवंटन अधिकारी ने खसरा नं. 1355/2 किस्म गैर मुमकिन पाल धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध अप्रार्थी को क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर आंवटित कर दी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. जनहित याचिका सं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदान किये गये निर्देशों के अनुरूप उक्त आवंटन/नियमन/अंकन निरस्त योग्य हैं। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में आने के कारण आवंटन / नियमन योग्य नहीं थी। अप्रार्थी की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि पुनः राजकीय गैर मुमकिन पाल दर्ज करवाने के आदेश दिये जावे।

हस्तगत प्रकरण में किसी भी निर्णय, आदेश, कार्यवाही को निरस्त कराने का अनुरोध नही किया गया हैं, अपितु राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम वर्तमान अंकनों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया हैं। जबकि यह परीक्षण किया जाना चाहिये कि पूर्व में गैर मुमकिन पाल अगर अप्रार्थी पक्ष की खातेदारी में नही थी तो इसका मालिकाना हक किसके पास था ओर कब व किस आदेश से अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुयी ? जब तक उक्त आदेश का परीक्षण कर उसे निरस्त नहीं कराया जाता हैं तब तक राजस्व रिकार्ड में वर्तमान अंकनों को निरस्त करना विधिक कार्यवाही नहीं हैं। अप्रार्थी के नाम वर्तमान अंकनों को निष्प्रभावी व निरस्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

कराने के लिये उक्त आदेश को निरस्त कराना आवश्यक हैं। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि मामले की पुनः जांच कर उक्त आदेश से संबंधित राजस्व अभिलेख को अभिलेख पर लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

ग्राम पांसल के साबिक आराजी नं. 1320/1 रकबा 5.03 बीघा बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि का हाल आराजी नं. 1355 रकबा 5.11 बीघा गे.मु. पाल ए.एस.ओ. के आदेश से मिसल सं. 21/74 से बिलानाम से मुरलीधर सिंह के नाम दर्ज कर अभिमन्यू सिंह के खाते में दर्ज कर दी गयी।

उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग की किस्म गे.मु.पाल अंकित थी। जिसे ए.एस.ओ. के आदेश से मिसल सं. 21/74 से बिलानाम से मुरलीधर सिंह के नाम दर्ज कर अभिमन्यू सिंह के खाते में दर्ज कर दी गयी। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, भीलवाडा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रतिवेदन स्वीकार करते हुए ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा के साबिक आराजी नं. 1320/1 रकबा 5.03 बीघा किस्म गे.मु. पाल के हाल आराजी नं. 1355/2 रकबा 1.17 बीघा किस्म गे.मु. पाल में विपक्षी के नाम अभिलिखित भूमि को पुनः किस्म बिलानाम गे.मु. पाल दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)